



केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना में संशोधन को मंजूरी दी

Posted On: 23 JAN 2017 4:32PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और तक इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 में 'नेट शून्य आयात' के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना में (एम-सिपस) संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण ईएसडीएम) के क्षेत्र में निवेश में तेजी लाने के अलावा एम-सिप में किए गए संशोधन से रोजगार के अवसर पैदा होने और आयात पर निर्भरता घटने की उम्मीद है। इस योजना के तहत प्राप्त हुए प्रोजेक्टों में एक मिलियन लोगों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है।

यह नीति सभी राज्यों और जिलों को कवर करती है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने का अवसर उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत अभी तक, करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों समेत 75 आवेदनों को मंजूरी दी जा 997, आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 17 243 चुकी है।

इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- i. इस योजना के तहत आवेदन (या प्रोत्साहन (इनसेंटिव 2018 ,दिसंबर 31) प्रतिबद्धता के करोड़ रुपये तक पहुंचने 000,10, दोनों में से जो पहले हो, तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रोत्साहन प्रतिबद्धता के करोड़ रुपये तक पहुंचने की स्थिति में आगे की वित्तीय प्रतिबद्धता पर फैसला लेने के लिए एक समीक्षा की जाएगी। 000,10
- ii. नई मंजूरी के मामलों में योजना के तहत मिलने वाला इनसेंटिव प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने की तिथि से उपलब्ध होगा न कि आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख से।
- iii. प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इनसेंटिव निवेश के लिए उपलब्ध होगी।
- iv. पात्र आवेदकों को सामान्यतः पूर्ण आवेदन जमा करने के दिन के भीतर इनसेंटिव मिल जाएगा। 120
- v. इस योजना के तहत इनसेंटिव पाने वाली इकाई को तीन वर्ष की अवधि तक वाणिज्यिक उत्पादन में बने रहने के लिए वचन देना होगा।
- vi. परियोजना को मंजूरी की सिफारिश करने वाली मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव करेंगे।
- vii. करोड़ रुपये (लगभग एक बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक निवेश वाले मेगा प्रोजेक्ट के मामलों में एक अलग कमेटी होगी 6850, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इस समिति में नीति आयोग के सीईओ, सचिव व्यय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे।

पृष्ठभूमि

इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण ईएसडीएम) के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने जुलाई 2012) में विशेष प्रोत्साहन (इनसेंटिव) पैकेज उपलब्ध कराने की खातिर एम-सिप को मंजूरी दी थी। यह योजना विशेष आर्थिक गलियारे एसईजेड) में निवेश करने पर 20 प्रतिशत और गैर एसईजेड में निवेश करने पर पूंजीगत व्यय में 25 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराती है। प्रक्रिया को सरल बनाने और में संशोधन किये 2015 ,गुंजाइश बढ़ाने के लिए इस योजना में अगस्त 2015 गया था। इस योजना ने ईएसडीएम सेक्टर में करोड़ रुपये के 838,26,1 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। 997, निवेश को आकर्षित किया है। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने करीब 17 एम-सिप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निवेश पर सकारात्मक असर डालने में सफल रही है।

AKT/VBA/SH/AS

(Release ID: 1481053) Visitor Counter : 20

